उपायुक्त का कार्यालय, सरायकेला–खरसावाँ।
(आपूर्ति शाखा)

प्रेषक,

पत्रांक 16 /आ0

उपायुक्त,
सरायकेला–खरसावाँ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
गृह विभाग, झारखण्ड, राँची।

सरायकेला, दिनांक 10-01-15

विषय : मौजा– श्रीरामपुर, थाना नं0– 48, खाता नं0– 56, 35, 54, 5 एवं 57 तथा मौजा– शिखरडीह, थाना नं0– 71, खाता नं0– 22, 14, 01, 02, 22, 06, 07 एवं 21, कुल रकवा– 25 एकड़ भूमि पर स्थापित एल0पी0जी0 वॉटलिंग प्लान्ट को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्लान्ट मैनेजर, एल0पी0जी0 वॉटलिंग प्लान्ट आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र लार्ज सेक्टर पो0– गम्हरिया, जिला– सरायकेला–खरसावाँ के द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लि0 की स्थापित बॉटलिंग प्लान्ट को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने हेतु आवेदन दिया गया है। (आवेदन की प्रति संलग्न) आवेदन पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, गम्हरिया से प्लान्ट की भूमि एवं प्लान्ट के संबंध में जॉच कराया गया। अंचल अधिकारी, गम्हरिया का जॉच प्रतिवेदन जो अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 551/रा0 दिनांक 15.09.2014 के द्वारा प्रेषित किया गया है, इस पत्र के साथ संलग्न है। जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि उपर्युक्त वॉटलिंग प्लान्ट आयडा, आदित्यपुर द्वारा आवंटित भूमि पर स्थापित है। उक्त भूमि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बोरिंग केनाल रोड पटना को भूमि आवंटन आदेश संख्या–539/आयडा दिनांक 11.04.1998 के द्वारा प्राप्त है। (आवंटन आदेश की प्रति संलग्न)

राजस्व अभिलेख के अनुसार वॉटलिंग प्लान्ट के भूमि विवरणी इस प्रकार है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
श्रीरामपुर	48	56	888	0.60 ए0
		35	887	0.30 ए0
		54	889	0.39 ए0
			890	0.30 ए0
		05	896	0.44 ए0
		57	790	11.89 ए0
			791	6.28 ए0
शिखरडीह	71	22	65	0.36 ए0
		14	64	0.69 ए0
		01	66	0.13 ए0
		02	67	0.17 ए0
			70	0.11 ए0
		22	68	0.58 ए0
		01	69	0.20 ए0
		06	71	2.30 ए0
		07	72	0.31 ए0
		21	78	14.10 ए0

लगातार..2

वॉटलिंग प्लान्ट उपरोक्त वर्णित भूमि के अन्तर्गत 25 एकड़ जमीन पर स्थापित है, जिसके चारो ओर कम्पनी के द्वारा चहार दिवारी किया गया है। प्लान्ट की चौहदी इस प्रकार है :—

1. उत्तर — आयडा का खाली जमीन।
2. दक्षिण — सड़क एवं वन विभाग की भूमि।
3. पूरब — इण्डियन ऑयल का वॉटलिंग प्लान्ट।
4. पश्चिम — आयडा का खाली जमीन।

प्लान्ट के पश्चिमी दिशा में तीन किलोमीटर की दूरी पर आबादी अवस्थित है तथा चहार दिवारी के लगभग 40 फीट के दूरी पर हाईटेंशन तार गुजरा है। प्लान्ट के ईर्द—गिर्द 500 फीट के दायरे में स्कूल / अस्पताल एवं सार्वजनिक उपयोग का स्थल इत्यादि नहीं है।

अतः बिहार / झारखण्ड राज्य संरक्षित स्थान अधिनियम 1979 (बिहार अधिनियम I /1979) की धारा—3 में निहित प्रावधान के आलोक में मौजा— श्रीरामपुर, थाना नं0— 48, खाता नं0— 56, 35, 54, 5 एवं 57 तथा मौजा— शिखरडीह, थाना नं0— 71, खाता नं0— 22, 14, 01, 02, 22, 06, 07 एवं 21, कुल रकवा— 25 एकड़ भूमि पर स्थापित एल0पी0जी0 वॉटलिंग प्लान्ट को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने हेतु मूल आवेदन पत्र, जॉच प्रतिवेदन एवं अनुमोदित साईट प्लान्ट की तीन प्रति संलग्न कर अनुशंसा सहित अग्रसारित किया जाता है।

विश्वासभाजन

10/1/15

उपायुक्त
सरायकेला—खरसावाँ।